मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांकः 16.11.2022

मीरजापुर पुलिस द्वारा ₹25-25 हजार के ईनामिया गैर इरादतन हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार –

थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 12.09.2021 को वादिनी रिंकी देवी पत्नी छांगुर पटेल निवासिनी घासीपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर द्वारा लिखित तहरीर बावत अपने ससुर श्यामजी की थाना चुनार क्षेत्रान्तर्गत स्थित कबाड़ की दुकान पर घुमई आदि 04 नफर द्वारा आकर गाली देते हुए लाठी डण्डे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर देने तथा इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दी गयी । उक्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-88/2021 धारा 323,504,304 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु ₹25-25 हजार का ईनाम घोषित किया गया था । आज दिनांक 16.11.2022 को प्र0नि0अहरौरा कुमुद शेखर सिंह मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अहरौरा क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित ₹25-25 हजार के ईनामिया 02 नफर अभियुक्तों 1.सदावृक्ष उर्फ घुमई, 2.रामवृक्ष उर्फ संजय पुत्रगण स्व0मारकण्डेय सिंह निवासी जरहा थाना चुनार जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1.सदावृक्ष उर्फ घुमई पुत्र स्व0मारकण्डेय सिंह निवासी जरहा थाना चुनार जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-38 वर्ष ।

2.रामवृक्ष उर्फ संजय गुड्डू पुत्र स्व0मारकण्डेय सिंह निवासी जरहा थाना चुनार जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-40 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0-88/2021 धारा 323,504,304,342 भादवि थाना अहरौरा, मीरजापुर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

प्रभारी निरीक्षक अहरौरा- कुमुद शेखर सिंह मय पुलिस टीम ।

जनपद-मीरजापुर